

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/4453

दिनांक: 07.11.2020

प्रैस-नोट

विषय :- 42 नगरीय निकायों के आम चुनाव-कार्यक्रम की घोषणा।

राज्य के 31 जिलों की 129 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह अगस्त, 2020 में समाप्त हो गया किन्तु राज्य में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उक्त निकायों के चुनावों को तत्समय स्थगित कर दिया गया था। इससे पूर्व आयोग द्वारा राज्य की 49 नगर निकायों के आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में संपन्न कराए जा चुके हैं एवं 6 नगर निगमों के आम चुनाव वर्तमान में कराए जा रहे हैं, जिनकी चुनाव प्रक्रिया दिनांक 11.11.2020 को पूर्ण हो जाएगी।

वर्तमान में आयोग द्वारा राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम जारी किया हुआ है। **उक्त 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की प्रक्रिया दिनांक 11.12.2020 को पूर्ण होगी।** राज्य सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों (जयपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर) में कुल 18 नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। इन नगरपालिकाओं के नवसृजन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्ड/पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन होने एवं इनमें आरक्षण परिवर्तन होने के संभावना के कारण आयोग द्वारा उक्त 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।

चूंकि 21 जिलों में आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपादित कराए जा रहे हैं, किन्तु इन जिलों में मैन पॉवर एवं पुलिस बल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चुनावों के साथ-साथ नगरपालिका चुनाव कराना संभव नहीं है। अतः आयोग द्वारा 11 जिलों के 42 नगरीय निकाय (परिशिष्ट A) के चुनाव प्रथम चरण में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शेष नगर निकायों के आम चुनाव द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कराए जाएंगे।

30.9.20

● आम चुनाव कार्यक्रम

42 नगरीय निकायों के लिए आम चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

➤ सदस्य पद के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	23.11.2020 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	27.11.2020 (शुक्रवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	01.12.2020 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	03.12.2020 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	04.12.2020 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि	11.12.2020 (शुक्रवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	13.12.2020 (रविवार) प्रातः 9.00 बजे से

➤ अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	14.12.2020 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	15.12.2020 (मंगलवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	16.12.2020 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	17.12.2020 (गुरुवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	17.12.2020 (गुरुवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	20.12.2020 (रविवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	20.12.2020 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➤ उपाध्यक्ष के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	21.12.2020 (सोमवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय-सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

- **मतदाताओं का विवरण**

42 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.07.2020 को किया जा चुका है। इन निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय कुल मतदाताओं का विवरण निम्नानुसार है:-

मतदाताओं का विवरण			
पुरुष	महिला	थर्ड जेण्डर	कुल
663984	611992	23	1275999

उक्त नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् नामावलियों को निरन्तर अद्यतन किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों के निस्तारण के पश्चात् उक्त संख्या में कुछ परिवर्तन संभव है।

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन**

इन निकायों के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार अन्य जिले से स्थानान्तरण की ऑन लाईन ट्रेकिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान हेतु ईवीएम के आवंटन के लिए रेण्डमाइजेशन (Randomization) भी किया जाएगा।

- **वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण**

आयोग द्वारा इन नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करते समय COVID-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या को 750 तक रखा गया है और तदनुसार मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, इन 42 निकायों के वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या
1520	2310

- **मतदान का समय**

मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक नियत किया गया है।



- **मतदाताओं की पहचान**

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

- **मतदाता सहायता केन्द्र**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के पश्चात् Epic No अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

नगर परिषद के मामलों में मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) स्थापित कर प्रत्येक सहायता केन्द्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे। इन सहायता केन्द्रों पर मतदाता को मतदाता सूची में उनका क्रमांक एवं बूथ संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

- **चुनाव कार्य हेतु नियोजित होने वाले कार्मिकों का विवरण**

इन निर्वाचनों को संपादित कराने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 14000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों का रेण्डमाईजेशन (Randomization) सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।

- **चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति**

इन नगरीय निकायों के लिए मतदान, मतगणना अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक नियोजित किये जायेंगे।

- **चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना**

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाते हैं। आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। आयोग कार्यालय में स्थापित यह नियन्त्रण कक्ष 24 X 7 (रात-दिन) लगातार कार्यशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाषों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	0141-2227786
2.	0141-2385067
3.	0141-2385059

- **अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा**

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं, जिसके अनुसार **नगरपालिका सदस्य के लिए यह सीमा एक लाख रुपए एवं नगर परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है।** इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग **रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक पूर्णतः** प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित निर्वाचन अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- **दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा**

आयोग द्वारा दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोड़ने के निर्देशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।

- **कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन**

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की FLC, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, सवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु नगर निगम के चुनाव के लिए गाईडलाईन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगी। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की भी पूर्ण रूप से पालना करें।

● आदर्श आचरण संहिता

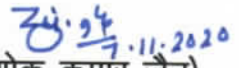
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः इन जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानान्तरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा।

जिन कार्मिकों/अधिकारियों के स्थानान्तरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो कार्यमुक्त या कार्यग्रहण आचार संहिता की समाप्ति के बाद की किया जा सकेगा। परन्तु यदि ऐसा स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया है और चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त हो गये हैं लेकिन कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो रिक्त पद पर कार्यग्रहण किया जा सकेगा।

समस्त अभ्यर्थी, सभी मतदाताओं, आमजन एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं कोरोना महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करावें।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
दिनांक: 07.11.2020

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/9454-57
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
42 नगरीय निकायों की सूची जिनमें आम चुनाव होने हैं

क्र.सं.	नाम जिला	क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या
1	2	3	4	5
1.	अलवर	1	न.पा. राजगढ़	35
		2	न.पा. खेड़ली	25
		3	न.पा. तिजारा	25
		4	न.पा. खैरथल	35
		5	न.पा. बहरोड़	35
		6	न.पा. किशनगढ़बास	25
2.	बारां	7	नगरपरिषद बारां	60
		8	न.पा. अन्ता	35
3.	धौलपुर	9	नगरपरिषद धौलपुर	60
		10	न.पा. बाडी	45
		11	न.पा. राजाखेड़ा	35
4.	दौसा	12	नगरपरिषद दौसा	55
		13	न.पा. बांड़ीकुई	40
		14	न.पा. लालसोट	35
5.	श्रीगंगानगर	15	न.पा. रायसिंहनगर	35
		16	न.पा. गजसिंहपुर	20
		17	न.पा. केसरीसिंहपुर	20
		18	न.पा. श्रीकरणपुर	25
		19	न.पा. अनूपगढ़	35
		20	न.पा. श्रीविजयनगर	25
		21	न.पा. सादुलशहर	25
		22	न.पा. पदमपुर	25
6.	जयपुर	23	न.पा. चौमू	45
		24	न.पा. सांभर	25
		25	न.पा. चाकसू	35
		26	न.पा. कोटपूतली	40
		27	न.पा. फुलेरा	25
		28	न.पा. शाहपुरा	35
		29	न.पा. विराटनगर	25
		30	न.पा. जोबनेर	20
		31	न.पा. बगरू	35
		32	न.पा. किशनगढ़-रेनवाल	35

7.	जोधपुर	33	न.पा. पिपाड़सिटी	35
		34	न.पा. बिलाड़ा	35
8.	कोटा	35	न.पा. रामगंजमण्डी	40
		36	न.पा. ईटावा	35
9.	सवाईमाधोपुर	37	नगरपरिषद सवाईमाधोपुर	60
		38	नगरपरिषद गंगापुरसिटी	60
10.	करौली	39	नगरपरिषद हिण्डौन	60
		40	नगरपरिषद करौली	55
		41	न.पा. टोडाभीम	25
11.	सिरोही	42	न.पा. आबूरोड	40
कुल योग				1520


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव